न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 81/2023 | दायर दिनांक 24.02.2023 | निर्णय दिनांक 26.10.2023

उनवान

1. देउ पत्नी तुलछा भील निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. जमना पुत्र तुलछा भील निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. बालू पुत्र किशना भील निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. बद्री पुत्र तुलछा भील निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. रतन पुत्र तुलछा भील निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
6. रतनी पुत्री उरजन भील निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बक्षुराम पुत्र श्रीराम गाडरी निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री प्रभू पुत्र गोकुल गाडरी निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री राधेश्याम पुत्र लक्ष्मण गाडरी निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री मांगीलाल पुत्र रूपा खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री नारायण लाल पुत्र केदारमल लढा निवासी 2–एफ–11 आर0सी0 व्यास कालोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री अलोल देवी पत्नी नारायण सिंह मीणा निवासी 5 क्यू आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा जिला भीलवाडा।
7. श्री अम्बालाल पुत्र हरलाल ओड निवासी ओडो का खेडा भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. शम्भू पुत्र रामेश्वर ओड निवासी ओडो का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. बालु पुत्र महाराम बलाई निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
10. सत्यनारायण पुत्र जमना लाल बलाई निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण ओमप्रकाश शर्मा
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 444 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1402, 1498, 1500, 1501, 1669/1502 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6186 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आदिनांक को अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 444 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1402, 1498, 1500, 1501, 1669/1502 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6186 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.10

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा